फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

श्रीमती नीलिमा अचलावत बनाम **जिला कलक्टर पाली**

किस्म मुकदमा विभागीय अपील (अन्तर्गत धारा 23 राज. असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958) विभागीय अपील संख्या 6 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/23	यह अपील श्रीमती निलिमा अचलावत, अध्यापिका, रा0उ0मा0वि0 सिणगारी, तहसील रोहट जिला पाली द्वारा जिला कलक्टर पाली के आदेश कमांकः एफ.1(17)( )संस्था./2021/3721 दिनांक 26.11.2021 के विरूद्व दिनांक 27.01.2022 को इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई। विद्वान जिला कलक्टर पाली ने अपने उक्त आदेश के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व सी.सी0ए0 नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही/जांच कार्यवाही संपन्न कर अपीलाण्ट को दोषी मानते हुए **एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने** के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रस्तुत अपील जिला कलेक्टर पाली से मूल रेकर्ड, विभागीय पेशकार के नियुक्ति आदेश एवं टिप्पणी/रिपोर्ट की अपेक्षा में लंबित थी। इस दौरान दिनांक 14.02.2023 को अपीलार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि "वह सेवानिवृत्त होना चाहती है, इस कारण उसके द्वारा जो अपील–प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वापस देने की कृपा करावे।" अतः अपीलार्थीया की इस्तदुआ पर प्रस्तुत अपील का प्रथम पृष्ठ रेकर्ड पर रखते हुए शेष मूल ही लौटायी जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये विड्रो निस्तारित की जावे। 17/2/23 (कैलाश चन्द मीना) डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर कार्यालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर	